आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बार–बार की जाने वाले गलतियॉ एवं उनके निराकरण हेतु अपेक्षित कार्यावाहियॉ

नोटः वित्तीय वर्ष 2004–05 से निम्न कर कटौत्रा के लिए (टीडीएस) संबंधित त्रैमासिक जानकारी आनलाईन फाइल करना अनिर्वाय बना दिया गया हैं:–

1. समस्त कर कटौत्रा (Deductor) जो सरकारी ऑफिस से संबंधित है।
2. समस्त कम्पनी कटौत्रा(Deductor)।
3. ऐसे कर कटौत्रा(Deductor) जिनके एकाउण्टस सेक्शन 44 ए बी के तहत ऑडित होते है।
4. ऐसे का कटौत्रा जिन्होने किसी भी क्वाटर में 20 से अधिक व्यक्तियों का टीडीएस काटा हो।
5. उपरोक्त कर कटौत्रा (Deductor) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार त्रमासिक टीडीएस रिर्टन आनलाईन फाइल करना अनिर्वाय हैं।
   इसका पालन नहीं करने की स्थिति में रू. 100/– प्रतिदिन की शास्ति धारा 272A(2)(k) के तहत आरोपित करने का प्रावधान है।

बार–बार की जाने वाली त्रुटियों का बिन्दुवार विवरण	अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही
1. कर कटौती संख्या (TAN) :– अभी भी कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा कटौती संख्या (TAN) प्राप्त नहीं किया गया है।	सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी फॉर्म नं. 49–बी में NSDL के अधिकृत TIN Facilitation Center माध्यम से आवेदन कर कर कटौती संख्या (TAN) प्राप्त करें और दाखिल की जाने वाली विवरणियों, चालान व अन्य दस्तावेजों में इसका उल्लेख आवश्यक रूप से करें।
2. वेतन से औसत दर पर कटौती :– वेतन के भुगतान पर वर्ष की अनुमानित आय पर देय कर की स्त्रौत पर कटौती औसत दर से मासिक आधार पर नहीं की जा रही है।	• देखने में आया है कि सैलरी पर टीडीएस कर्मचारियों द्वारा फरवारी माह के अंत में एक साथ कटवाया जाता है जो कि गलत है जिस पर ब्याज लग सकता है जो डीडीओ का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है **अतः सभी डीडीओ सुनिश्चित करें की कर्मचारी की वर्षभर की कर योग्य आय का अनुमान लगाकर प्रतिमाह टीडीएस काटें।** उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति की सालाना आयकर (समस्त छूट के बाद) 12,000/– बनता है तो

	प्रतिमाह 12,000 / 12=1000/- प्रतिमाह टीडीएस माह अप्रैल से मार्च तक कटना चाहिए यदि फरवरी माह में देखने में आता है कि कर कम या ज्यादा कट गया है तो फरवरी और मार्च के टीडीएस में उसको समायोजित कर सकतें हैं। • प्रत्येक तीन महीने बाद टीडीएस रिटर्न फॉर्म 24Q में भरकर स्वयं अथवा टिन सेन्टर की मदद से वर्ष की चारों त्रैमासिक विवरणियॉ दाखिल करें। (टिन का पता संलग्न है)
3. धारा 80-C की छूट के प्रमाणः– वेतन के भुगतान की स्त्रौत पर कटौती के पूर्व धारा 80-C की छूट के प्रमाण रिकॉर्ड पर न रखकर छूट प्रदान करते हैं।	वेतन के भुगतान की स्त्रौत पर कटौती के पूर्व धारा 80-C/80DD/80U की छूट निर्धारित प्रपत्र **रिकॉर्ड पर रखकर ही छूट प्रदान की जावे।**
4. फॉर्म – 16 / 16A जारी करना :– वेतन व अन्य भुगतानों जैसे कॉन्ट्रेक्ट, कमीशन, प्रोफेशनल एवं तकनीकी सेवा आदि पर की गई कटौती के लिए फॉर्म – 16 / 16A जारी नहीं किये जाते हैं।	वेतन व अन्य भुगतानों जैसे कॉन्ट्रेक्ट, कमीशन, प्रोफेशनल एवं तकनीकी सेवा आदि पर की गई कटौती के लिए फॉर्म – 16 / 16A आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्न समय सीमा के भीतर जारी किया जावे। • **फार्म 16 (सैलेरी):– जिस वर्ष में टीडीएस काटा है उसके समाप्त होने के बाद 31 मई तक** (उदाहरणानार्थ) 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक काटे गये टीडीएस के लिए फार्म 16 31 मई, 2012 तक प्रदान करना है। • फार्म 16A सैलेरी के अलावा अन्य मामलों में तिमाही देना है। त्रिमासिक टीडीएस रिटर्न फाईल करने की तिथि के 15 दिन के भीतर फा16 A देना है.

	01 अप्रैल से 30 जून तक की तिमाही के लिए 30 जुलाई 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक की तिमाही के लिए 30 अक्टूबर 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक की तिमाही के लिए 30 जनवरी 01 जनवरी से 31 मार्च तक की तिमाही के लिए 30 मई
5. तिमाही विवरणियॉ दाखिल न करना:– स्त्रौत पर कर की कटौती/संग्रहण कर लिया जाता है परन्तु तिमाही विवरणियॉ दाखिल नहीं की जाती हैं या देरी से दाखिल की जाती हैं।	स्त्रौत पर कर की कटौती/संग्रहण करने के पश्चात स्वयं अथवा टिन एफसी के माध्यम से **प्रत्येक 3 माह पश्चात टीडीएस रिटर्न दाखिल करना डीडीओ की जिम्मेदारी है** • सैलरी के लिए टीडीएस रिटर्न फॉर्म 24Q में भरें। • सैलरी के अतिरिक्त अन्य पेमेन्ट के लिए फॉर्म 26Q में भरें। • किसी NRI को किये गये पेमेन्ट के लिए फार्म 27Q में भरें। • टीसीएस के लिए फॉर्म 27EQ भरें। यह सभी फार्म **www.nsdl-tin.com** website पर उपलब्ध है। • तिमाही विवरणियॉ की समय सीमा निम्न है:– 01 अप्रैल से 30 जून तक की तिमाही के लिए 15 जुलाई 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक की तिमाही के लिए 15 अक्टूबर 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक की तिमाही के लिए 15 जनवरी 01 जनवरी से 31 मार्च तक की तिमाही के लिए 15 मई • अन्यथा इसका पालन नहीं करने की स्थिति में रू.

	100/– **प्रतिदिन** की शास्ति धारा 272A(2)(k) के तहत आरोपित की जा सकती है।
6. गलत PAN का उल्लेख :– तिमाही विवरणियों में PAN का उल्लेख नहीं किया जाता है या गलत PAN का उल्लेख किया जाता है।	तिमाही विवरणियों में सही PAN का उल्लेख किया जावे ताकि सम्बंधित को अपना क्रेडिट फॉम 26AS में दिखे और वह अपनी आयकर विवरणी में स्त्रौत पर की गई कर कटौती एवं संग्रहण का क्रेडिट प्राप्त कर सकें। **करकटौतीदाता के द्वारा यदि PAN नहीं दिया जाता है तो समान्य दर व 20 प्रतिशत दोनो में से जो भी अधिक हो पर कर की कटौती करें।** अन्यथा गलत पेन की स्थिति में सिस्टम 20 प्रतिशत से शॉट डिडक्शन निकाल देगा जो डीडीओ को स्वयं भुगतना पडेगा। **अतः समस्त डीडीओ, पेन कार्ड की कॉपी लेकर भुगतान करें और यदि कोई व्यक्ति पेन कार्ड की छायाप्रति नहीं देता तो 20 प्रतिशत की दर या निर्धारित दर से जो भी अधिक हो कटौती करें।**
7.देरी से भुगतानः– जहाँ भुगतान चालान से किया जाता है, निहित समय सीमा माह के अंत से 7 दिवस के भीतर नहीं किया जा रहा है।	**जिस माह में टीडीएस कटौता किया गया उस अगले माह के 7 दिवस के भीतर चालान से भुगतान किया जावे** अन्यथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 201(1A) के तहत ब्याज देय होकर अनिवार्य भी है। (उदाहरणानार्थ) 01 अप्रैल को किया गया भुगतान अगले माह की 07 तारीख को चालान के द्वारा किया जाना है तथा केवल 31 मार्च को किये गये भुगतान की समय सीमा 30 अप्रैल निहित की गई है। • **शासकीय डिडक्टर जिनके यहाँ बुक एडजस्टमेंट**

	के द्वारा भुगतान किया जाता है उनके लिए किये गये भुगतान को उसी दिन (सेम डेट) में पेमेन्ट करना अनिवार्य है।
8. **चालानों का उपयोग :–** मिश्रित भुगतानों के लिए एक ही चालान का उपयोग किया जाता है और निर्धारण वर्ष के स्थान पर वित्त वर्ष का उल्लेख किया जाता है।	निर्धारित टीडीएस का भुगतान करते समय निर्धारित चालान कम्पनी एवं गैर–कम्पनी कटौतिदातावार, तिथिवार, सेक्सनकोडवार, अलग–अलग चालानों का उपयोग करें जिसे कि चालान का मिलान आसान होगा। **निर्धारण वर्ष के स्थान पर वित्त वर्ष का उल्लेख नहीं किया जावे जैसे वित्त वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारण वर्ष 2012–13 का उल्लेख करें क्योंकि आयकर में वित्त वर्ष से आगे का वर्ष निर्धारण वर्ष होता है।** निर्धारित चालान संख्या – ITNS 281 & 280 यह सभी फार्म **www.nsdl-tin.com** पर उपलब्ध है।
9. धारा 194–सी /जे में अंतर :– धारा 194–जे के अंतर्गत तकनीकी एवं प्रोफेशनल सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस किया जाना चाहिए परन्तु धारा 194–सी के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्ट मानकर 2/1 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाता है जो कि त्रुटिपूर्ण है।	धारा 194–जे के अंतर्गत तकनीकी एवं प्रोफेशनल सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस किया जावे अन्यथा शॉर्ट डिडक्शन के लिए धारा 201(1) के तहत डिफाल्ट माना जावेगा।

10. तिमाही विवरणियों में समान्यतः की जाने वाली त्रुटियॉः– 1. टीडीएस के सेक्शन कोड संख्या का गलत उल्लेख 2. सामान्य महिला एवं सीनियर सिटीजन के कॉलम में उल्लेख करने में त्रुटि। 3. 15-H फार्म/15-G फार्म/प्रमाण पत्र के आधार पर कम दर पर टी0डी0एस0 काटने के कारण के कॉलम में ए/बी का उल्लेख करने में त्रुटि। 4. चालानों के विवरण जैसे BSR कोड, चालानों के नम्बर एवं सेक्शन कोड का उल्लेख करने में त्रुटि।	तिमाही विवरणियॉ भरने के पश्चात अधिकृत TIN Facilitation Center के माध्यम अपने TAN का रजिस्ट्रेशन कर तिमाही विवरणियों को देखकर अथवा **प्रिंट प्राप्त कर भरी गई विवरिणि में त्रुटिपूर्ण भरे गए डाटा की जॉच करे और करेक्शन स्टेटमेन्ट दाखिल करें।**
11. 24G दाखिल करना :– आयकर विभाग के नोटिफिकेशन कमांक 41/2010 दिनांक 31/05/2010 के द्वारा Pay and Account Office (PAO)/Cheque Drawing and Disbursing Office (CDDO)/ District Treasury Office (DTO) के द्वारा फॉर्म 24G दाखिल नहीं किये जा रहें है।	सम्बंधित जिला कोषालय अधिकारी/वेतन एवं लेखाधिकारी चैंक आहरण एवं संवितरण अधिकारी फॉर्म 24G दाखिल किये जाने हेतु AIN नं. प्राप्त करें और प्रतिमाह के अंत से 10 दिवस के भीतर 24G आवश्यक रूप से दाखिल करें।
12. स्त्रौत पर कर संग्रहणः– प्रावधानों	स्त्रौत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के लिए उत्तरदायी

BIRD'S EYE VIEW OF TDS

TDS (Tax deducted at source) Rate chart for Financial Year 2010-11					
Made to resident		**Threshhold**		**Company, firm, Co-op Society, Local Authority**	**HUF, Individual**
Section	**Nature of Payments**	**upto 30.06.10**	**w.e.f. 01.07.10**	**Rate in %**	
192	Salary	See table	See table	See table	See table
193	Interest on securities to a resident	10000	10000	10%	10%
194	Devident to a resident	2500	2500	10%	10%
194A	Interest from Bank	10000	10000	10%	10%
194A	other interest	5000	5000	10%	10%
194B	Winning from lotteries	5000	10000	30%	30%
194BB	Winning from Horse races	2500	5000	30%	30%
194C	Payment to contractors, Pay to Advt./Sub contr., Payment to Transporters	20000(50000 in a year)	30000(75000 in a year)	2%	1%
194D	Insurance commission	5000	20000	10%	10%
194E	Payment to a non-resident sportsman/ Sports association	No limit	No limit	10%	10%
194EE	Payment in respect of NSS	2500	2500	20%	20%
194F	Payment on account of repurchase of units of Mutual Funds/ UTI	No limit	No limit	20%	20%
194G	Commission on sale of Lottery ticket	1000	1000	10%	10%
194H	Commission/Brokerage	2500	5000	10%	10%
194I	Rent - Property	120000	180000	10%	10%
194I	Rent-Plant / Machinery	120000	180000	2%	2%
194J	Fees for Professional or Technical Services	20000	30000	10%	10%
194LA	Compensation payable on compulsory acquisition of immovable property	100000	100000	10%	10%
195	Non resident payment	No limit	No limit	Separate rate applicable Refer IT Act/DTTA	
Note-1	**For section 194C Rs.20,000/30000 for single payment & Rs.50000/75000 for aggregate payment during a financial Year.**				
Note-2	**Payment made to Transporter, TDS is not required if PAN is provided by the Transporter**				
Note-3	**Surcharge and cess is not applicable on TDS w.e.f. 01.04.2009 on any payment made to resident.**				
Note-4	**If PAN is not provided by the deductee then rate as per above table or 20% which ever is higher is to be charged(effective from 01.04.2010 section 206AA)**				